भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2233

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

रामगंगा नदी पर उचित तटबंधों का अभाव

2233. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरादाबाद जिले में मुस्तफापुर गाँव से गुरु जंभेश्वर राय विश्वविद्यालय तक रामगंगा नदी के किनारे समुचित तटबंधों के अभाव के कारण मानसून के दौरान प्रत्येक वर्ष गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें आस-पास के गाँवों में फसलों की हुई क्षति, प्रभावित कृषि भूमि एवं गाँवों की संख्या, आवासीय क्षेत्रों में जलभराव तथा उक्त बाढ़ के कारण स्थानीय जनसंख्या को होने वाली कठिनाइयों का विवरण शामिल हो;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति एवं तीव्रता तथा उससे लोगों के जीवन एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ सरकार द्वारा किए गए परामर्श अथवा पत्राचार का विवरण क्या है;

(ङ) कृषि क्षति को कम करने हेतु उक्त क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य के त्वरित सर्वेक्षण, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं; और

(च) बार-बार आने वाली बाढ़ से स्थानीय जनसंख्या को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नदी प्रबंधन के अंतर्गत सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): बाढ़ मुख्य रूप से एक प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना देश के विभिन्न भागों में लगभग हर वर्ष अलग-अलग परिमाण में होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुस्तफापुर गांव से मुरादाबाद जिले में गुरु जम्भेश्वर राय विश्वविद्यालय तक रामगंगा नदी के किनारे पिछले दस वर्षों में केवल सामान्य जलप्लावन हुआ है।

देश में बाढ़ के कारण प्रभावित गांवों, कृषि भूमि और फसलों के हुए नुकसान से संबंधित डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में लगभग 5772 किसानों के फसल को नुकसान हुआ और 1376.0354 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

(घ) से (च): बाढ़ प्रबंधन और काटव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुरादाबाद जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, एलार गांव में ढेला नदी पर बाढ़ प्रबंधन के लिए 140.30 लाख रुपए की लागत वाली एक परियोजना पूरी हो गई है।

केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, काटव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को लाभान्वित करने वाली रामगंगा नदी पर एक बाढ़ प्रबंधन परियोजना एफएमबीएपी के तहत 5.88 करोड़ रुपये के केंद्रीय वित्तपोषण के साथ पूरी हो गई है।

जल शक्ति मंत्रालय ने देश में बाढ़ प्रबंधन के प्रभावी उपाय के रूप में बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर राज्यों को लगातार जोर दिया है। राज्यों को बाढ़-मैदान और उसके क्षेत्रीकरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए, बाढ़-मैदान क्षेत्रों पर एक तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किया गया है और अगस्त, 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

****